

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 19(2)/निमअ/WSHGI/कलेवा/10-11

जयपुर, दिनांक 9-7-10

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त


28131-63

विषय- कलेवा योजना के सम्बन्ध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक 8108-140/05.04.10, 9140-71/15.04.10 एवं
23224-57 दिनांक 17.06.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा राज्य की समस्त 368 CHC's पर प्रसूताओं को प्रसव के दो दिवस बाद तक गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। इसी की निरन्तरता में उल्लेखनीय है कि गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाले SHGs को मासिक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं किये गये भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 284 से 286 के अनुसार प्रत्येक माह के व्यय विवरण के साथ भिजवावें।

योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रपत्र 'स' का प्रारूप आपको भिजवाया जा चुका है जिसमें आपके जिले की समस्त CHCs की संकलित सूचना प्रतिमाह भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही योजना प्रारम्भ होने के बाद संस्थागत प्रसवों में होने वाली वृद्धि एवं CHCs पर प्रसूताओं के उहराव की सूचना भी भिजवाएं।



आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

क्रमांक एफ 19(2)/निमअ/WSHGI/कलेवा/10-11
प्रतिलिपि

28164

जयपुर, दिनांक 9-7-10

1. कम्प्युटर प्रोग्रामर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।


AD, SHG